न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– उपस्थितः श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P1885
सत्र परीक्षण संख्या– 344 / 2022

राज्य प्रति पंकज तिवारी वगैरह

मैं ,सुनील कुमार IV, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः–

1. पंकज तिवारी, 2. भोला, 3. आनन्द सिह,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 27–07–2021 को समय 23.50 बजे स्थान बबुरी मोड़, कस्बा चन्दौली, थाना व जनपद चन्दौली में पुलिस कर्मियों ने अभियुक्त पंकज तिवारी को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अभियुक्त भोला के साथ रक्त की तीन थैलिया लेकर जा रहा था। उक्त बरामद शुदा तीनो थैलियों के रक्त वगैर परीक्षण व ब्लड बैंक की लेबिल व मुहर रहित थे तथा मानक के अनुरूप नहीं थीं तथा अपमिश्रित थीं, जिन्हें आपलोग स्वयं अवैध तरीके असल के रूप में बेचे जाने के आशय से तैयार किये थे। इस प्रकार आपने धारा 274 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर पुलिस कर्मियों द्वारा बरामद किये गये उपरोक्त तीनो थैलियों के रक्त जो वगैर परीक्षण व ब्लड बैंक की लेबिल व मुहर रहित तथा मानक के अनुरूप नहीं थे, तथा अपमिश्रित थे, जिन्हें आपलोग स्वयं अवैध तरीके असल के रूप में बेचे जाने के आशय से तैयार किये थे, अवैध तरीके से विभिन्न निजी चिकित्सालयों को बेचने के लिये ले जा रहे थे। इस प्रकार आपने धारा 275 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर पुलिस कर्मियों द्वारा बरामद किये गये अवैध व अपमिश्रित ब्लड की उपरोक्त तीनो थैलियों पर आप लोग कूटरचित बैच नम्बर व तिथि आदि अंकित करके छलपूर्वक विभिन्न निजी चिकित्सालयों को असल के रूप में बेचने के लिये ले जा रहे थे कि वे चिकित्सालय उक्त ब्लड को प्राप्त कर एवज में आपको रूपये परिदत्त कर दें। इस प्रकार आपने धारा 420 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः–यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर पुलिस कर्मियों द्वारा बरामद किये गये उपरोक्त तीनो थैलियों के अवैध व अपमिश्रित ब्लड जिन्हें आप लोगों द्वारा कूटरचित बैच नम्बर व तिथि आदि अंकित कर निजी चिकित्सालयों को असल के रूप में बेचे जाने हेतु ले जाये जा रहे थे, जो किसी मरीज के शरीर में आवश्यकतानुसार चढ़ाये जाते तो उससे मरीज की मृत्यु होनी भी संभाव्य थी। इस प्रकार आपने धारा 18a (I)

के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो धारा 27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः—03—10—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिसे उसने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः—03—10—2022.

(सुनील कुमार IV)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 344/2022

राज्य प्रति पंकज तिवारी वगैरह

03–10–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता सहित एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पंकज तिवारी, भोला एवं आनन्द सिंह पर धारा 274, 275, 420 भा.दं.सं. एवं धारा 18a (I) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध धारा 27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

बादहू,

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण उपस्थित है। अभियुक्तगण पंकज तिवारी, भोला एवं आनन्द सिंह पर धारा 274, 275, 420 भा.दं.सं. एवं धारा 18a (I) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध धारा 27 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का आरोप लगाया गया जिसे उन्होने अस्वीकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 20–10–2022 को प्रस्तुत हो।

यह पत्रावली विधिनुसार विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, चन्दौली के न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है। लोक अभियोजन सूचित हों। लिपिकगण तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2022.10.03 18:14:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court